राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.29(9)न्याय/2019 **जयपुर, दिनांकः** 15 OCT 2019

आज्ञा

प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(6)प्र0सु./अनु–3/2017 दिनांक 27.09.2019 द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड–द्वितीय पद की संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	वर्ग	मेरिट संख्या	रोल नं.	जन्म तिथि
1	श्री सुमंगल माहेश्वरी	श्री राम मनोहर माहेश्वरी	GE	703	606034	13.05.1991

इस विभाग के अधीनस्थ कार्यालय में चयनित होने पर अस्थाई आधार पर लिपिक ग्रेड–द्वितीय के पद पर निम्न अधिसूचनाओं में अंकित प्रावधानों के अनुसार कार्यग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि पर एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता हैः–

वित्त नियम विभाग की अधिसूचनाऐंः–

1. एफ.12(6)एफ.डी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006
2. एफ.16(2)एफ.डी/रूल्स/98 दिनांक 13.03.2006
3. एफ.13(1)एफ.डी/रूल्स/03 दिनांक 13.03.2006
4. एफ.6(6)एफ.डी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006
5. एफ.16(5)एफ.डी/रूल्स/98 दिनांक 13.03.2006
6. एफ.1(2)एफ.डी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006

तथा कार्मिक विभाग की अधिसूचनाऐंः–

1. प.7(2)कार्मिक/ए–11/2005 दिनांक 20.01.2006
2. प.7(3)कार्मिक/क–2/2006 दिनांक 30.06.2006

उक्त नियुक्ति निम्न शर्तों के अध्यधीन होगीः–

1. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड–द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डी.बी सिविल याचिका संख्या 1693/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम अनिल कुमार व अन्य रिट याचिकाओ में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 की अनुपालन में अस्थाई परिणाम दिनांक 07.07.2017 को घोषित किया गया। अधीनस्थ कार्यालयो /विभागो के लिए नवीनतम रूप से अस्थाई चयनित अभ्यर्थियो की सूची दिनांक 21.11.2017 को जारी की गई, में नियुक्तियां आवंटित पदों के संबंध में डी.बी अपिल संख्या 965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 व डी.बी. स्पेशल रिट संख्या 18/18 आयोग बनाम दिनेश कुमार महावर में दिनांक 05.03.2018 को पारित निर्णय की पालना में दिनांक 28.04.2018 को घोषित परिणाम तथा एस.बी.सी. रिट पिटिशन संख्या 11497/2017 धारासिंह गुर्जर व अन्य बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19.07.2017, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.एस.ए.डब्ल्यू. संख्या 1666/2017 बाबल देवी मीना व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा विभिन्न व अन्य याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 27.04.2018 एवं व अन्य याचिकाओं /अपीलों के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
2. उक्त अभ्यर्थी राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.7(2)कार्मिक/ डीओपी/ए–2/05 दिनांक 20.01.2005 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.14(1)वित्त नियम/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015,प. 15(1) वित्त/ रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसार कार्यग्रहण तिथि से दो वर्ष की कालावधि के लिये परीविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में रहेगें। इस अवधि में इन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट दरों पर मासिक भुगतान (रूपये 14,600/– प्रतिमाह) देय होगा तथा अन्य प्रकार का कोई भुगतान देय नहीं होगा। उक्त अभ्यर्थी को लिपिक ग्रेड–द्वितीय के पे–बेण्ड नं.–1 (5200–20200)–ग्रेड पे नम्बर 9–2400–L–5 के अन्तर्गत नियुक्ति दी गई है।
3. उपरोक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार संभालना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने की स्थिति में उनकी नियुक्ति आदेश निरस्त करने की प्रक्रिया नियमानुसार प्रारम्भ कर दी जायेगी।
4. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी **यदि अभ्यर्थी पूर्व में राज्य सरकार का कर्मचारी है तो उक्त शर्त लागू नहीं होगी।**
5. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि लिपिक ग्रेड–द्वितीय के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
6. यह नियुक्ति राजस्थान सेवा नियमों एवं उक्त नियमों के समय–समय पर संशोधित सेवा नियमों के अधीन रहेगी।
7. उपस्थिति पर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी लिपिक ग्रेड–द्वितीय के पद पर कार्यभार ग्रहण करते समय धूम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने का वचनबंध प्रपत्र प्रस्तुत करेंगे।

9. उपस्थिति देने से पूर्व दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा, जो उनके संबंधी न हो।
10. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ.13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे तथा आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
11. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने के आदेश, अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
12. यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कमी अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते हैं तो राज्य सरकार इनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर सकेगी।
13. अभ्यर्थी की जन्मतिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी, परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई ही मान्य होगी तथा जन्मतिथि अपरिवर्तनीय होगी।
14. चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान लोक सेवा आयोग से मेरिट सूची के आधार पर ही होगा।
15. अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगा।
16. उक्त अभ्यर्थी कार्यग्रहण करते समय अपनी स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र मेडिकल ज्यूरिस्ट/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त कर जिस मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में पदस्थापन किया है वहॉ पर पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
17. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ 11/एसटी एससी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प./सामान्यअवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606–726 दिनांक 20.10.2015 एवं प011(204) आरएण्डपी/डीडीबीसी/सान्याअवि/2011 /68999–69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा–निर्देशों /सत्यापन के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
18. श्री सुमंगल माहेश्वरी के द्वारा प्रस्तुत Attestation Form के अनुसार इनके चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के संबंध में विभाग के द्वारा पुलिस अधीक्षक को पत्र जारी कर दिये गये है तथा चरित्र आचरण के संबंध में पुलिस सत्यापन जांच में अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पायी जाती है तो श्री सुमंगल माहेश्वरी की नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी, साथ अपराधिक/विधिक कार्यवाही भी इनके विरूद्ध अमल में लायी जायेगी।

उक्त अभ्यर्थी का पदस्थापन लिपिक ग्रेड–द्वितीय के पद पर निम्न प्रकार से किया जाता है:–

क्र.सं.	नाम सर्व श्री	अधिकरण का नाम
1	श्री सुमंगल माहेश्वरी	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, झालावाड़।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–
1. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.1(6)प्र.सु./अनु–3/2017 दिनांक 27.09.2019 के क्रम में।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, झालावाड़ को प्रेषित कर निवेदन है कि अभ्यर्थी को ज्वाईन कराते समय मूल दस्तावेजों एवं शैक्षणिक योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जॉच अपने स्तर पर कर संतुष्टि कर लें कि इनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सही हैं। तथा कार्यभार ग्रहण करने की प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
4. सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, झालावाड़।
5. श्री सुमंगल माहेश्वरी पुत्र श्री राम मनोहर माहेश्वरी, आशीर्वाद, बावड़ी चौक, बड के बालाजी की गली, मोटर गेराज, झालावाड़।
6. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव